



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258042
CG-DL-E-18102024-258042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4177]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 4177]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

सं. 33/2024-25

विषय: सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर 31 दिसम्बर, 2024 तक न्यूनतम आयात मूल्य लगाए जाने के संबंध में

का.आ. 4541(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 77/2023 दिनांक 16.03.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के निम्नलिखित 5 आईटीसी (एचएस) कोडों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की समय सीमा 15 सितंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2024 करती है:

आईटीसी (एचएस कोड)	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
60063100	—कृत्रिम रेशों का:—बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है

60063200	—कृत्रिम रेशों का: —रंगा हुआ	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60063300	—कृत्रिम रेशों का: — विभिन्न रंगों के धागों का	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60063400	—कृत्रिम रेशों का:—मुद्रित	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60069000	— अन्य	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है

2. अधिसूचना संख्या 77/2023 दिनांक 16.03.2024 में अन्य सभी नियम और मौजूदा मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार एतद्वारा 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के लिए आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 60 के अंतर्गत निम्नलिखित आईटीसी (एचएस) कोड की आयात नीतिगत शर्त को भी तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

आईटीसी (एचएस कोड)	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
60019200	— अन्य :— मानव निर्मित रेशों का	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60041000	30 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले बुने हुए या क्रोशियाकृत कपड़े, जिनमें भार के हिसाब से 5 प्रतिशत या उससे अधिक इलास्टोमेरिक यार्न या रबर धागा हो, जो शीर्षक 60.01 के अंतर्गत आने वाले कपड़ों से भिन्न हों।	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60049000	— अन्य	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60053600	—कृत्रिम रेशों का:— अन्य, बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60053790	— अन्य	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60053900	— सिंथेटिक फाइबर का:— अन्य,	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक

	मुद्रित				प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60062200	— कपास का : — रंगा हुआ	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60064200	— कृत्रिम रेशों का: — रंगा हुआ	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है

अधिसूचना का प्रभाव:

सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को 15 सितम्बर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2024 कर दिया गया है। इसके अलावा, 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के बुने हुए कपड़ों के 08 नए आईटीसी (एचएस) कोडों पर भी सीआईएफ मूल्य पर 3.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का एमआईपी लगाया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / विविध-39 / एएम-05 / पीसी-2[ए] / ई-1425]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

No. 33 /2024-25

Subject: Imposition of Minimum Import Price on Synthetic Knitted Fabrics up to 31st December 2024 – reg.

S.O. 4541(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and in partial modification to Notification No. 77/2023 dated 16.03.2024, the Central Government hereby **extends** the condition of Minimum Import Price (MIP) on the following 5 ITC (HS) Codes of Synthetic Knitted Fabrics from **15th September, 2024 to 31st December 2024** as under :

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
60063100	-Of synthetic fibres : -- Unbleached or bleached	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063200	-Of synthetic fibres : -- Dyed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063300	-Of synthetic fibres : -- Of yarns of different colours	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063400	-Of synthetic fibres : --	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar

	Printed				and above per Kilogram
60069000	-- Other	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram

2. All other terms and conditions in the Notification No. 77/2023 dated 16.03.2024 shall remain unchanged.

3. In addition to the above, the Central Government hereby revises the Import Policy Condition of the following ITC (HS) Codes under Chapter 60 of ITC(HS) 2022, Schedule-I (Import Policy), for the period upto 31st December, 2024, with immediate effect:

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
60019200	- Other : -- Of man-made fibres	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60041000	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 percent or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60049000	- Other	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053600	- Of synthetic fibres : -- Other, unbleached or bleached	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053790	--- Other	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053900	- Of synthetic fibres : -- Other, printed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60062200	- Of cotton : -- Dyed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60064200	- Of artificial fibres : -- Dyed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram

Effect of the Notification:

Minimum Import Price (MIP) on Synthetic Knitted Fabrics is extended from 15th September 2024 to 31st December 2024. Further, MIP of US Dollar 3.50 per Kilogram on CIF Value has also been imposed on 08 new ITC (HS) Codes of various kinds of Knitted fabrics for the period up to 31st December, 2024.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-39/AM-05/PC-2[A]/E-1425]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.